कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए, मध्य प्रदेश
खण्ड घ, विन्ध्याचल भवन, प्रथम–तल, भोपाल

क्रमाक / संशो0 / 45/6(3)/09 भोपाल, दिनांक 28-5-09

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव
प्रदेश तकनीकी प्रशिक्षण समिति
ए-138, शिवशक्ति नगर
छोला दशहरा मैदान, भोपाल

विषयः– संशोधन के संबंध में। (पंजीयन क्रमांक 14479 दिनांक 21/12/04)

संदर्भ :– आपका संशोधन प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 1/5/09.

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अवलोकन करे । आपके चाहेनुसार विधान में संशोधन प्रस्ताव को आज दिनांक 25/5/09 को रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। कृपया संशोधित प्रावधानों का दृढता से पालन करें एव नियमानुसार संशोधित प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करें।

(आलोक नागर)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं,भोपाल

प्रारुप–एक

देखिये नियम 3

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन–पत्र(संशोधित)

1. समिति का नाम :– **ऋषि तकनीकी प्रशिक्षण समिति,** होगा।

2. समिति का कार्यालय :– **138–ए,शिवशक्ति नगर,अर्चना गैस गौदाम के पीछे,चॉदवाडी क्षेत्र,छोला दशहरा मैदान के पीछे, विदिशा रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल(म.प्र.)** में स्थित होगा।

3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

1. शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना तथा प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय खोलना।
2. तकनीकी शिक्षा जैसे कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा टाइपिंग, शार्टहेण्ड मे प्रशिक्षण और डिप्लोमा देना।
3. बेरोजगार महिला एवं पुरूष वर्ग को सिलाई कढ़ाई बुनाई मे प्रशिक्षित कर रोजगारोंमुखी बनाना।
4. पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण करना तथा जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम करना।
5. सभी धर्मो में सद्भाव बनाना तथा राष्ट्रीय और सभी धर्मो के त्यौहारों के आयोजन में सहयोग करना।
6. प्रौढ़ महिला तथा पुरूष वर्गो को साक्षर करने हेतु प्रौढ़ केन्द्रों के माध्यम से साक्षर कर व्यावसायिक शिक्षा देना।
7. महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें अधिकारों के प्रति जागृत करना और सामाजिक बुराईयों जैसे दहेज प्रथा, भ्रृण हत्या तथा मादक पदार्थो की रोकथाम करना।
8. शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर विद्यालय एवं महाविद्यालय का संचालन करना एवं लाइब्रेरी की सुविधा मुहैया करना।
9. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शासकीय/अशासकीय संस्थानों/संगठनों के साथ संबद्धताएँ सुनिश्चित करने में पहल एवं सहयोग करना।
10. सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में आवश्यक सकारात्मक हस्तक्षेप वाले मुद्दों पर गतिविधियॉ क्रियांवित करना, परियोजनाएँ चलाना तथा अनुसंधान अध्ययन करना।
11. शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी कम्प्यूटर्स व टाईपिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं सभी प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा कोचिंग कक्षाओं का संचालन करना एवं महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों का जनहित में संचालन करना।
12. सभी वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु गतिविधियों तथा शिविरों का आयोजन करना एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा पिछडा वर्ग के युवक/युवतियों के कल्याण हेतु कार्य करना।
13. विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था एवं मदद करना एवं प्रौढ शिक्षा केन्द्र एवं वृद्वा आश्रम, अनाथ आश्रम का संचालन करना एवं बाल श्रमिक उन्मूलन हेतु कार्य करना।
14. महिला सशक्तिकरण के लिए सिलाई, कढाई, जूट, हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर, पापड बडी, अचार इत्यादि को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करना।
15. साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना व साहसिक पर्यटन के सर्वागीण विकास व कल्याण हेतु उक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना एवं खेलकूदों का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करना।
16. मानव कल्याण हेतु सभी कार्य को संपादित करना व उन्हे इस धारा से जोड़ना व राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय योजनाए जो मानव कल्याण के लिये होती हैं। उनमें भागीदारी निभाकर समिति द्वारा संचालित करना।

अध्यक्ष | **सचिव** | **कोषाध्यक्ष**

17. लोक संस्कृति, साहित्य एवं कलॉ के संरक्षण हेतु गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना। काव्य पाठ, कहानी पाठ, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली मंचन, नाटक मंचन, आदि कार्यक्रम का आयोजन कर संस्कृति प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों का संचालन करना। राष्ट्रीय एकता एवं नशामुक्ति हेतु कार्य करना और सांस्कृतिक गतिविधियों का रंगमंच द्वारा प्रचार–प्रसार करना।
18. पर्यावरण कार्यक्रम चलाना एवं वृक्षारोपण करना व नर्सरी (पेड पौधों) का संरक्षण करना एवं बंजर भूमि को उपजाऊ बनानें हेतु कार्य करना, जल एवं मृदा संरक्षण हेतु कार्य करना एवं पड़त भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु कार्य करना।
19. यातायात एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का जनहित में प्रचार–प्रसार करना एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित करना।
20. भारत वर्ष की प्रमुख भाषाओं जैसे– हिन्दी, उर्दू, संस्कृत पढानें और सिखानें की व्यवस्था करना। अन्य प्रचलित भाषाओं का ज्ञान देना।
21. परिवार परामर्श केन्द्र चलाना व मातृत्व एवं शिशु कल्याण हेतु कार्य करना व वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करना।
22. संपूर्ण मानव जाति को शिक्षित कर खेलकूद का महत्व बताते हुये जन जागरूकता पैदा करना और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना।
23. गैस पीड़ित एवं अन्य त्रासदी ग्रस्त परिवारों की सहायता करना, उनके लिये शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना।
24. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बंधी कार्यक्रमों का आयोजन :– मॉ एवं बच्चों की उचित देखभाल संबंधी प्रचार–प्रसार टीकाकरण अभियान, मातृ शिशु प्रतियोगिता स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहन, गर्भ निरोधकों का वितरण परिवार कल्याण हेतु दम्पतियों को प्रोत्साहन, नसबंदी कार्यक्रम के उपरांत राहत कार्य करना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, नेत्र रोग शिविरों का आयोजन, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, रक्तदान शिविरों का आयोजन, एक शिशु दम्पतियों हेतु सम्मान, एड्स विरोधी गतिविधियों का संचालन, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन करना।
25. स्वास्थ्य के क्षेत्र मे शासन द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना, शासन द्वारा अनुमति प्राप्त कर चिकित्सालय, पैथालाजी का संचालन रखरखाव करना, निःशुल्क नेत्र शिविरों का आयोजन, स्वास्थ्य निरीक्षण, मोबाईल डिस्पेंसरी, चिकित्सा विज्ञान में तकनीकि एवं आधुनिक विज्ञान को प्रोत्साहन, समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक विकास के सभी कार्यक्रम चलाना।
26. बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के अंतर्गत उन्हे अधिकारों के प्रति जागरूक करना उन्हे सामाजिक न्याय दिलवाना एवं बालिका उत्थान हेतु कार्य करना।
27. जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि विकास एवं ऊर्जा विकास हेतु जागरूकता एवं कार्य करना। ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों को विकसित करने मे मदद करना।
28. शासन द्वारा समय–समय पर जारी कल्याणकारी, रोजगारोंमुखी, सामाजिक जन चेतना, स्वास्थ्य संबंधी, डेयरी विकास, मछली पालन, पशुपालन, वृक्षारोपण, कम्प्यूटर तथा कलॉ संबंधी समस्त कार्यो का प्रशिक्षण देने हेतु कार्य करना।
29. प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित व्यक्तियों की सहायता तथा आपदाग्रस्त क्षेत्रों मे कार्य करना।
30. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा स्वास्थ्य अधिकारों एवं देश की संस्कृति के प्रति सचेत करना। दहेज, बाल–विवाह, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करना।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
गुलाबी	संदीप	Kavita

4 समिति के प्रबंध विनिमयों का समिति कार्यो का प्रबंध शासक परिषद्, संचालकों सभा या शासी निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है:–

क्र	नाम एवं पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धन्धा
01	श्रीमती गुलाबा देवी पति श्री जियाराम मिश्रा	अध्यक्ष	138–ए, शिवशक्ति नगर, अर्चना गैस के पीछे, चॉदवाड़ी क्षेत्र, विदिशा रोड, भोपाल	गृहणी
02	श्री प्रदीप मिश्रा पिता श्री जियाराम मिश्रा	उपाध्यक्ष	138–ए, शिवशक्ति नगर, अर्चना गैस के पीछे, चॉदवाड़ी क्षेत्र, विदिशा रोड, भोपाल	कम्प्यूटर आपरेटर
03	श्री संदीप मिश्रा पिता श्री जियाराम मिश्रा	सचिव	138–ए, शिवशक्ति नगर, अर्चना गैस के पीछे, चॉदवाड़ी क्षेत्र, विदिशा रोड, भोपाल	व्यवसाय
04	श्री जियाराम मिश्रा पिता श्री राम सहाय	कोषाध्यक्ष	138–ए, शिवशक्ति नगर, अर्चना गैस के पीछे, चॉदवाड़ी क्षेत्र, विदिशा रोड, भोपाल	नौकरी
05	श्रीमती सरिता पति श्री मनोज शर्मा	सह सचिव	13, घासीराम का बाग, इब्राहिमगंज, भोपाल	गृहणी
06	श्री मनोज शर्मा पिता श्री अशोक शर्मा	सदस्य	13, घासीराम का बाग, इब्राहिमगंज, भोपाल	कृषिकार्य
07	श्री मनीष शर्मा पिता श्री अशोक शर्मा	सदस्य	13, घासीराम का बाग, इब्राहिमगंज, भोपाल	व्यवसाय

5. समिति के इस ज्ञापन–पत्र के साथ समिति के विनिमयों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न हैं।

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे है, समिति का निर्माण उपरोक्त, ज्ञापन–पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन–पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्र	निर्माणकर्ताओं के नाम, पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
01	श्रीमती गुलाबा देवी पति श्री जियाराम मिश्रा	138–ए, शिवशक्ति नगर, अर्चना गैस के पीछे, चॉदवाड़ी क्षेत्र, विदिशा रोड, भोपाल	अधोहस्ताक्षर
02	श्री प्रदीप मिश्रा पिता श्री जियाराम मिश्रा	138–ए, शिवशक्ति नगर, अर्चना गैस के पीछे, चॉदवाड़ी क्षेत्र, विदिशा रोड, भोपाल	अधोहस्ताक्षर
03	श्री संदीप मिश्रा पिता श्री जियाराम मिश्रा	138–ए, शिवशक्ति नगर, अर्चना गैस के पीछे, चॉदवाड़ी क्षेत्र, विदिशा रोड, भोपाल	अधोहस्ताक्षर
04	श्री जियाराम मिश्रा पिता श्री राम सहाय	138–ए, शिवशक्ति नगर, अर्चना गैस के पीछे, चॉदवाड़ी क्षेत्र, विदिशा रोड, भोपाल	अधोहस्ताक्षर
05	श्रीमती सरिता पति श्री मनोज शर्मा	13, घासीराम का बांग, इब्राहिमगंज, भोपाल	अधोहस्ताक्षर
06	श्री मनोज शर्मा पिता श्री अशोक शर्मा	13, घासीराम का बाग, इब्राहिमगंज, भोपाल	अधोहस्ताक्षर
07	श्री मनीष शर्मा पिता श्री अशोक शर्मा	13, घासीराम का बाग, इब्राहिमगंज, भोपाल	अधोहस्ताक्षर

साक्षी हस्ताक्षर – अधोहस्ताक्षर

नाम – मोहित मीणा

पता – शिवशक्ति नगर,

भोपाल(म.प्र.)

अध्यक्ष गुलाबा

सचिव संदीप मिश्रा

कोषाध्यक्ष Kavita

Asstt. Registrar Firm's & Societies Bhopal

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

12AA 402839

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL
भोपाल

ज्ञापन / विधान की प्रमाणित प्रति ... [illegible]
संस्था का नाम [illegible] समिति, [illegible]
पंजी. क्र. [illegible]
[illegible]

सहायक के हस्ताक्षर

11/5/09

Asstt. Registrar
Firm's & Societies Bhopal

नोट:- संशोधित नाम विधान को सभा दिनांक 23/04/15 द्वारा अनुमोदित किया

नियमावली संशोधित

1. समिति का नाम :– **ऋषि तकनीकी प्रशिक्षण समिति** होगा।
2. समिति का कार्यालय :– **138–ए,शिवशक्ति नगर,अर्चना गैस गौदाम के पीछे,चॉदवाडी क्षेत्र,छोला दशहरा मैदान के पीछे,विदिशा रोड,भोपाल,तहसील हुजूर, जिला भोपाल(म.प्र.)** में स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– **सम्पूर्ण भारतवर्ष** होगा।
4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे –
   1. शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना तथा प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय खोलना।
   2. तकनीकी शिक्षा जैसे कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा टाइपिंग, शार्टहेण्ड मे प्रशिक्षण और डिप्लोमा देना।
   3. बेरोजगार महिला एवं पुरूष वर्ग को सिलाई कढ़ाई बुनाई मे प्रशिक्षित कर रोजगारोंमुखी बनाना।
   4. पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण करना तथा जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम करना।
   5. सभी धर्मो में सद्भाव बनाना तथा राष्ट्रीय और सभी धर्मो के त्यौहारों के आयोजन में सहयोग करना।
   6. प्रौढ़ महिला तथा पुरूष वर्गो को साक्षर करने हेतु प्रौढ़ केन्द्रों के माध्यम से साक्षर कर व्यावसायिक शिक्षा देना।
   7. महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें अधिकारों के प्रति जागृत करना और सामाजिक बुराईयों जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या तथा मादक पदार्थो की रोकथाम करना।
   8. शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर विद्यालय एवं महाविद्यालय का संचालन करना एवं लाइब्रेरी की सुविधा मुहैया करना।
   9. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शासकीय/अशासकीय संस्थानों/संगठनों के साथ संबद्धताऍ सुनिश्चित करने में पहल एवं सहयोग करना।
   10. सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में आवश्यक सकारात्मक हस्तक्षेप वाले मुद्दों पर गतिविधियॉ क्रियांवित करना, परियोजनाऍ चलाना तथा अनुसंधान अध्ययन करना।
   11. शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी कम्प्यूटर्स व टाईपिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं सभी प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा कोचिंग कक्षाओं का संचालन करना एवं महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों का जनहित में संचालन करना।
   12. सभी वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु गतिविधियों तथा शिविरों का आयोजन करना एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा पिछडा वर्ग के युवक/युवतियों के कल्याण हेतु कार्य करना।
   13. विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था एवं मदद करना एवं प्रौढ शिक्षा केन्द्र एवं वृद्वा आश्रम, अनाथ आश्रम का संचालन करना एवं बाल श्रमिक उन्मूलन हेतु कार्य करना।
   14. महिला सशक्तिकरण के लिए सिलाई, कढाई, जूट, हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर, पापड बडी, अचार इत्यादि को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करना।
   15. साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना व साहसिक पर्यटन के सर्वागीण विकास व कल्याण हेतु उक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना एवं खेलकूदों का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करना।
   16. मानव कल्याण हेतु सभी कार्य को संपादित करना व उन्हे इस धारा से जोड़ना व राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय योजनाए जो मानव कल्याण के लिये होती हैं। उनमें भागीदारी निभाकर समिति द्वारा संचालित करना।

अध्यक्ष	**सचिव**	**कोषाध्यक्ष**
गुलाबो	संदीप मिश्रा	Kavita

7. लोक संस्कृति, साहित्य एवं कलॉ के संरक्षण हेतु गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना। काव्य पाठ, कहानी पाठ, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली मंचन, नाटक मंचन, आदि कार्यक्रम का आयोजन कर संस्कृति प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों का संचालन करना। राष्ट्रीय एकता एवं नशामुक्ति हेतु कार्य करना और सांस्कृतिक गतिविधियों का रंगमंच द्वारा प्रचार–प्रसार करना।

18. पर्यावरण कार्यक्रम चलाना एवं वृक्षारोपण करना व नर्सरी (पेड पौधों) का संरक्षण करना एवं बंजर भूमि को उपजाऊ बनानें हेतु कार्य करना, जल एवं मृदा संरक्षण हेतु कार्य करना एवं पड़त भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु कार्य करना।

19. यातायात एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का जनहित में प्रचार–प्रसार करना एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित करना।

20. भारत वर्ष की प्रमुख भाषाओं जैसे– हिन्दी, उर्दू, संस्कृत पढानें और सिखानें की व्यवस्था करना। अन्य प्रचलित भाषाओं का ज्ञान देना।

21. परिवार परामर्श केन्द्र चलाना व मातृत्व एवं शिशु कल्याण हेतु कार्य करना व वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करना।

22. संपूर्ण मानव जाति को शिक्षित कर खेलकूद का महत्व बताते हुये जन जागरूकता पैदा करना और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना।

23. गैस पीड़ित एवं अन्य त्रासदी ग्रस्त परिवारों की सहायता करना, उनके लिये शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना।

24. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बंधी कार्यक्रमों का आयोजन :– मॉ एवं बच्चों की उचित देखभाल संबंधी प्रचार–प्रसार टीकाकरण अभियान, मातृ शिशु प्रतियोगिता स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहन, गर्भ निरोधकों का वितरण परिवार कल्याण हेतु दम्पतियों को प्रोत्साहन, नसबंदी कार्यक्रम के उपरांत राहत कार्य करना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, नेत्र रोग शिविरों का आयोजन, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, रक्तदान शिविरों का आयोजन, एक शिशु दम्पतियों हेतु सम्मान, एड्स विरोधी गतिविधियों का संचालन, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन करना।

25. स्वास्थ्य के क्षेत्र मे शासन द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना, शासन द्वारा अनुमति प्राप्त कर चिकित्सालय, पैथालाजी का संचालन रखरखाव करना, निःशुल्क नेत्र शिविरों का आयोजन, स्वास्थ्य निरीक्षण, मोबाईल डिस्पेंसरी, चिकित्सा विज्ञान में तकनीकि एवं आधुनिक विज्ञान को प्रोत्साहन, समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक विकास के सभी कार्यक्रम चलाना।

26. बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के अंतर्गत उन्हे अधिकारों के प्रति जागरूक करना उन्हे सामाजिक न्याय दिलवाना एवं बालिका उत्थान हेतु कार्य करना।

27. जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि विकास एवं ऊर्जा विकास हेतु जागरूकता एवं कार्य करना। ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों को विकसित करने मे मदद करना।

28. शासन द्वारा समय–समय पर जारी कल्याणकारी, रोजगारोंमुखी, सामाजिक जन चेतना, स्वास्थ्य संबंधी, डेयरी विकास, मछली पालन, पशुपालन, वृक्षारोपण, कम्प्यूटर तथा कलॉ संबंधी समस्त कार्यो का प्रशिक्षण देने हेतु कार्य करना।

29. प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित व्यक्तियों की सहायता तथा आपदाग्रस्त क्षेत्रों मे कार्य करना।

30. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा स्वास्थ्य अधिकारों एवं देश की संस्कृति के प्रति सचेत करना। दहेज, बाल–विवाह, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करना।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
गुलाबा	संदीप मिश्रा	Kavita

5 **सदस्यता** :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे।

अ). संरक्षक सदस्य– संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप मे 1000/– रुपये या अधिक एकमुश्त या एक साल मे बारह किश्तो मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

ब). आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति संस्था को दान के रुप मे रुपये 500/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 500/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

स). साधारण सदस्य– जो व्यक्ति रुपये 10/– माह रुपये 120/– प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रुप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणो के छः माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

द). सम्मानीय सदस्य– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

6. **सदस्यता की प्राप्ति** :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यता की योग्यताएँ** :–संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।

1). आयु 18 वर्ष से कम न हो।

2). भारतीय नागरिक हो।

3). समिति के नियमो को पालन की प्रतिज्ञा की हो।

4). सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति** :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति मे समाप्त हो जावेगीः–

1). मृत्यु हो जाने पर।

2). पागल हो जाने पर।

3). संस्था को देय चन्दे की रकम नियम में बताये अनुसार जमा न करने पर।

4). त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।

5). चरित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप से देना होगी।

अध्यक्ष | **सचिव** | **कोषाध्यक्ष**

९ **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे :–**

1). प्रत्येक सदस्य का नाम,पता तथा व्यवसाय।

2). वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं।

3). वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

4). सदस्य के हस्ताक्षर, मय दिनांक सहित किये हो।

10. अ. साधारण सभा– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एकबार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 15 दिवस पूर्व सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन निश्चित समय में नही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में कराकर उसमें पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब. प्रबंधकारिणी सभा– प्रंबधकाारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी को प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक 1 घण्टे स्थगित किये उसी स्थान पर पुनः की जावेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. विशेष– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या के) 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बुलाने हेतु आवेदन करें। तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की एक प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य** :– (क). संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण एवं प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख). संस्था की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग). आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना। (घ). अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो। (ड). संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं को आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (च) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रवंधकारिणी का गठन** :– ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ. ब. स.) मे दर्शाए गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा :–

1. अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष, 3. सचिव, 4. कोषाध्यक्ष, 5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य–2

अध्यक्ष   **सचिव**   **कोषाध्यक्ष**

1. **प्रबंध समिति का कार्यकाल** :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नयी प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणो से नही हो जाता कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य** :–

अ). जिन उद्देश्यो के प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब). पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स). समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि भुगतान करना।

द). कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

इ). अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।

च). संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

छ). संस्था द्वारा कोई भी स्थायी सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नही की जायेगी।

ज). विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत सें संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों पर निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेंगा।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार** :–

1). साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।

2). समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

3). समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरिक्षण करना व नियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

4). सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 500/– खर्च करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष	**सचिव**	**कोषाध्यक्ष**
गुलाबो	संदीप मिश्रा	Kavita

कोषाध्यक्ष के अधिकार :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

19. **सह सचिव के अधिकार** :– सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का उपयोग करना।

20. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेंगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिक रूपये 500/– रहेंगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक सें 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी, तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी। विहित शुल्क के साथ होगी।

22. **संशोधन** :– संस्था के विधान मे संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों मे पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। विहित शुल्क के साथ होगी।

23. **विघटन** :– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. **सम्पत्ति** :– संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी। विहित शुल्क के साथ होगी।

25. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खाता खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियो द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. **विवाद** :– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगें। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

28. **सह सचिव के अधिकार** :– सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का उपयोग करना।

Asstt. Registrar Firm's & Societies Bhopal

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

12AA 402840

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL
भोपाल

ज्ञापन / [illegible]

संस्था का [illegible]

पंजी. क्र. [illegible]

[illegible]

सहायक के हस्ताक्षर

1/5/09

Asstt Registrar
Firm's & Societies Bhopal